

टेस्टिंग का कार्य प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ (लैब टेक्नीशियन) द्वारा किया जाता है। शासनादेश संख्या- 68/2016/1194/पांच-1-2016-(98)/2012 दिनांक 29-09-2016 द्वारा प्राविधान किये गये हैं। दिनांक 21-04-2022 को प्रख्यापित उ0प्र0 प्रयोगशाला तकनीशियन सेवा नियमावली-2022 में इस संवर्ग के 25 प्रतिशत पद ज्येष्ठ प्रयोगशाला सहायकों से भरे जाने का प्राविधान किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

शासनादेश के अनुसार ए0सी0पी0 का लाभ प्रदान किया जा रहा है।

प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) सेवा नियमावली, 1998 में द्वितीय संशोधन का प्रकरण विचाराधीन है।

शासनादेश के अनुसार इन्हें ए0सी0पी0 का लाभ प्रदान किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

ब्रजेश पाठक
उप मुख्यमंत्री,
उत्तर प्रदेश शासन।